

कार्यालय : निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य / बजट / बी-4 / 25605 / वो.-1 / 2022-23 / 80

दिनांक :- 10-05-2022

समस्त प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक,
रा.उ.मा.वि. / रा.बा.उ.मा.वि. / रा.मा.वि. / रा.बा.मा.वि.,

- विषय:- नव क्रमोन्नत 139 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों द्वारा अग्रिम आदेशों तक वेतन आहरण करते रहने के सम्बन्ध में।
- प्रसंग :- राज्य सरकार की स्वीकृति क्रमांक-
प.4(6)शिक्षा-1/2020 जयपुर दिनांक 01.11.2021,
प.4(6)शिक्षा-1/2019 जयपुर दिनांक 17.11.2021,
प.4(6)शिक्षा-1/2019 जयपुर दिनांक 18.11.2021
प.4(6)शिक्षा-1/2020 जयपुर दिनांक 10.02.2022 एवं इस कार्यालय का समसंख्यक पत्रांक शिविरा/मा/बजट/बी-4/25605/2021-22/501 दिनांक 22.02.2022

---0---

उपर्युक्त विषयान्तर्गत बजट घोषणा वर्ष 2019-20 के बिन्दु संख्या 95 की अनुपालना में राज्य सरकार के प्रासंगिक आदेशों द्वारा 139 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया जाकर पदों का सृजन किया गया है। इन क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों पर प्रधानाचार्य के पद का पदस्थापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, अतः इन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जब तक प्रधानाचार्य के पदस्थापन के आदेश जारी नहीं किए जाते हैं, तब तक इन नव क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक को पूर्व की भांति ही अग्रिम आदेशों तक सामान्य वित्तीय लेखा नियम 03 के तहत आहरण वितरण अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाता है। वे अपना वेतन भी प्रधानाचार्य के रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करते रहेंगे तथा इनको विद्यालय के अन्य प्रशासनिक कार्य यथावत करते रहने के लिए भी अधिकृत किया जाता है।

सत्यमेव जयते

(गौरव अग्रवाल)

IAS

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य / बजट / बी-4 / 25605 / वो.-1 / 2022-23 / 80

दिनांक :- 10-05-2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संयुक्त निदेशक (कार्मिक), कार्यालय हाजा।
2. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा विभाग,
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक,
5. समस्त कोषाधिकारी, जिला कोषालय,
6. अनुभाग अधिकारी, संस्थापन एवी अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. अनुभाग अधिकारी, लेखा डी-2 अनुभाग, कार्यालय हाजा।
8. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय प्रलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर